राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

पत्रांक : 795/241/NULM/लेखानुभाग/तीन/यूसी/2017–18 दिनांक– 29-11-17

सेवा में,

समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परि0 अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत जनपद को वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में योजना के विभिन्न घटकों को भौतिक लक्ष्य आवंटित करके उसके सापेक्ष धनराशि उपलब्ध करायी गयी। भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष/मांग के अनुरूप शहर द्वारा आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। शहर द्वारा प्रेषित की जा रही MPR/MIS मे भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति अत्यन्त कम है। भौतिक तथा वित्तीय प्रगति में काफी अधिक अन्तर होने से शहर द्वारा प्रेषित आंकड़ों तथा सूचनाओं की विश्वसनीयता पर संदेह प्रकट होता है। यह अन्तर अत्यन्त ही खेदजनक है।

2– उपरोक्त के क्रम मे यह भी अवगत कराना है कि शहरों मे उपलब्ध करायी गयी धनराशि मे व्यय के सापेक्ष बड़ी मात्रा मे उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित है तथा धनराशि भी अपर्युक्त पड़ी हुई है। समय–समय पर आपको निर्देशित किया जाता रहा है कि मिशन के अन्तर्गत जो धनराशि उपलब्ध करायी जाती है उसके उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को एक वर्ष के अन्दर प्रेषित किया जाना नितान्त आवश्यक होता है, तदोपरान्त ही भारत सरकार द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त की जाती है एवं भारत सरकार द्वारा परिव्यय (Allocation) भी इसी आधार पर किया जाता है।

3– (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरों मे बड़ी मात्रा मे उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित होने तथा शहरों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का पूर्ण व्यय न होने के कारण प्राप्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये जा सके हैं जिसके कारण भारत सरकार द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त ही खेदजनक है। प्राप्त धनराशि का शतप्रतिशत व्यय न करने व उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित न करने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं।

4– शहरों को मासिक समीक्षा बैठक व पत्रों के माध्यम से बराबर निर्देशित किया जा रहा है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि नियमानुसार शतप्रतिशत व्यय कर शीघ्रता से इसके उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। शहरों द्वारा गत वित्तीय वर्षो में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का निरन्तर कम व्यय होने के कारण भारत सरकार द्वारा मिशन के लागू होने से अद्यतन वित्तीय वर्ष तक, प्रदेश को परिव्यय (Allocation) प्रति वर्ष कम आवंटित किया जा रहा है, इसके लिए भी आप स्वयं उत्तरदायी हैं।

5– उक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रत्येक दशा में व्यय के सापेक्ष शतप्रतिशत उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 10.12.2017 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा उपलब्ध करायी गयी अवशेष धनराशि नियमानुसार व्यय करते हुए इसके भी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दिनांक 30.12.2017 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आपको इसके लिए आरोपित किया जायेगा एवं आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा उ0प्र0।
3. वित्त नियंत्रक, सूडा उ0प्र0।
4. समस्त शहर मिशन प्रबन्धक, सी0एम0एम0यू0, डूडा उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप भी उत्तरदायी होंगे।
5. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक